

नम्बर व  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुये

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुये

6/23

वादी के शर्चना पत्र पर पत्रावली  
दफ्तर के तालफ की गयी। वही ने जसि  
अधिवक्ता शर्चना पत्र पेश कर निवेदन  
किया कि हम पक्षकारों के मुख्य लोह  
अदालत की भाषना से समझाता हो  
गया है। इसलिए अपने वाद पत्र पर  
कोर्ट की कार्यवाही आगे नहीं चलाना  
चाहते। उक्त शर्चना पत्र के डाबिर  
पर वाद पत्र की कार्यवाही इसी स्तर  
पर खारिज की जावे।

राहु

हमने वादी स्वयं वादी के अधिवक्ता  
को सूना वादी ने स्वयं मायालय में  
उपस्थित होकर अपना वाद पत्र खारिज  
कराने का निवेदन किया है। वही की  
पहचान उनके अधिवक्ता श्री R.S. चौहान  
स्टेपेटेड द्वारा की गई। वादी का वाद पत्र  
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।  
पत्रावली फासल शुमार होकर दारखिल  
दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
राजाखेड़ा (धौलपुर)